राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–386/2017/भीलवाडा

मै. राधकिशन गोकुलचन्द
जरिये प्रो. श्याम पोरवाल पुत्र रामनिवास पोरवाल
निवासी दुकान नं. 82, न्यू क्लाथ मार्केट पुर रोड,
भीलवाडा। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक भीलवाडा
2. अध्यक्ष वस्त्र व्यापारी बाजार निर्माण सहकारी समिति लि. भीलवाडा ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री मदन गुर्जर
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 26.12.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) भीलवाडा (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 15.07.2006 प्रकरण संख्या 50/2001 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपपंजीयक भीलवाडा ने कलक्टर (मुद्रांक) के यहां एक रेफरेन्स इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने न्यू क्लाथ मार्केट भीलवाडा की दुकान सं. 82 नगर विकास न्यास भीलवाडा से खरीद की है और नगर विकास न्यास भीलवाडा ने दिनांक 07.04.1992 के द्वारा अप्रार्थी सं 2 को आजाद नगर योजना में भूमि 46,08,270/– रू में आवंटन की गयी ओर उक्त आवंटन पत्र की शर्त 14 की अप्रार्थी द्वारा पालना नहीं कर अपने सदस्यों के साथ एक इकरारनामा पंजीयन करवा दिया जिसके अनुसार प्रार्थी को दुकान नं 82 का आवंटन किया गया और आवंटी से समानुपात अंशदान स्वरूप प्रत्येक अंशधारी से 2,63,000/– रू लिये जाकर बाजार का निर्माण करवाकर आवंटी को कब्जा दिया गया परन्तु अप्रार्थी सं 2 ने न्यास से अनुज्ञा पत्र पट्टा विलेख अपने सदस्यों के नाम पंजीयन नहीं करवाया है इसलिये उक्त क्षेत्र की व्यवसायिक भूमि की बाजार दर 1100/– रू प्रति वर्गफीट मुख्य रोड पर तथा 600/– रू प्रति वर्गफीट अन्दर की तरफ कीमत होने से दस्तावेज में लिप्त जायदाद की मालियत 6,99,000/– रू होना बताते हुये प्रार्थी से कमी मुद्रांक की राशि वसूल करने का निवेदन किया जिस पर उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं कलक्टर (मुद्रांक) भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2006 के द्वारा अप्रार्थी

लगातार.....2

उपंपजीयक का रेफरेन्स स्वीकार करते हुये प्रस्तुत प्रकरण में मुद्रांक कर 69,900/– रू एवं शास्ति कुल राशि 70,000/– रू वसूल करने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी अभी तलबी की प्रक्रिया में है परन्तु प्रकरण में विवादित बिन्दू को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण के निस्तारण हेतु बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है इन्होंने यह भी कथन किया कि पूर्व में माननीय कर बोर्ड ने निगरानी सं 777/2013/भीलवाडा में निर्णय दिनांक 05.10.2015 एवं निगरानी सं. 633/2013 से 643/2013 व 778/2013 से 786/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है तथा प्रतिप्रेषित प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे समान प्रकणों में रेफरेन्स अस्वीकार किये है। अतः समानता के न्यायोचित सिद्धान्त के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में निगरानी में मुख्य आधार यह है कि प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं मिला है तथा पूर्व में माननीय कर बोर्ड ने निगरानी सं 777/2013/भीलवाडा में निर्णय दिनांक 05.10.2015 एवं निगरानी सं. 633/2013 से 643/2013 व 778/2013 से 786/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है तथा प्रतिप्रेषित प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे समान प्रकणों में रेफरेन्स अस्वीकार किये है। माननीय कर बोर्ड ने उपरोक्त वर्णित निगरानियों में प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है तथा प्रतिप्रेषित प्रकरणों में रेफरेन्स अस्वीकार होने का उल्लेख विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है व साथ ही ऐसे समान प्रकरणों में कर बोर्ड द्वारा प्रकण प्रतिप्रेषित किये गये है जिससे यह प्रकरण भी सुनवाई का विधिवत अवसर देने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.02.2018 को उपस्थित हो।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य